# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– 05 पौष, 1940 (श0) / 26 दिसम्बर, 2018 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगें :–

| क्रमांक | विभागों को भेजी गई सां0सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01. | अ0सू0–43 | श्री चम्पाई सोरेन | +2 विद्यालय में उत्क्रमित करना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 21.12.18 |
| 02. | अ0सू0–23 | श्री ढुलू महतो | वित्त रहित सुविधा उपलब्ध कराना। | ,, ,, | 20.12.18 |
| 03. | अ0सू0–31 | श्री शिवशंकर उराँव | सुधार करना। | ,, ,, | 21.12.18 |
| 04. | अ0सू0–10 | श्री मनीष जायसवाल | नीतिगत निर्णय लेना। | ,, ,, | 20.12.18 |
| 05. | अ0सू0–14 | श्री निर्भय कु0 शाहाबादी | पदाधिकारी पर कार्रवाई। | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा। | 20.12.18 |
| 06. | अ0सू0–36 | श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता | विद्यालय का निर्माण कराना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 21.12.18 |
| 07. | अ0सू0–42 | श्री सुखदेव भगत | प्रोन्नति देना। | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा | 22.12.18 |
| 28. | अ0सू0–20 | श्री देवेन्द्र कुमार सिंह | अनुमंडल बनाना। | ,, ,, | 20.12.18 |
| 29. | अ0सू0–07 | श्री प्रदीप यादव | वित्तीय स्थिति मजबूत करना। | योजना सह वित्त | 19.12.18 |
| 10. | अ0सू0–32 | श्री बिरंची नारायण | अस्पताल खोलना। | श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास | 22.12.18 |
| 11. | अ0सू0–35 | श्री शिवशंकर उराँव | संवैधानिक हक दिलाना। | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा | 22.12.18 |
| 12. | अ0सू0–24 | श्री जानकी प्रसाद यादव | स्थानांतरण करना। | ,, ,, | 20.12.18 |
| 13. | अ0सू0–21 | श्री आलमगीर आलम | विपत्र का भुगतान करना | योजना सह वित्त | 20.12.18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. | अ0सू0–18 श्री राधाकृष्ण किशोर | जानकारी उपलब्ध कराना। | खान एवं भूतत्व | 20.12.18 |
| 15. | अ0सू0–37 श्री राजकुमार यादव | रोजगार मुहैया कराना। | ,, ,, | 22.12.18 |
| *16. | अ0सू0–19 श्री मनीष जायसवाल | नियुक्ति करना। | श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास | 20.12.18 |
| 17. | अ0सू0–04 श्री साधु चरण महतो | सेवा नियमित करना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 19.12.18 |
| 18. | अ0सू0–17 श्रीमती विमला प्रधान | प्रचार–प्रसार करना। | सूचना एवं जनसम्पर्क | 20.12.18 |
| 19. | अ0सू0–27 श्री ढुलू महतो | ई–ऑक्सन चालू करना। | श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास | 20.12.18 |
| 20. | अ0सू0–06 श्री राधाकृष्ण किशोर | योजना बनाना। | गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन | 19.12.18 |
| *21. | अ0सू0–05 श्री आलमगीर आलम | स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ कराना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 19.12.18 |
| 22. | अ0सू0–02 श्री अशोक कुमार | स्टेडियम का निर्माण | पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 19.12.18 |
| 23. | अ0सू0–11 श्री अरूप चटर्जी | विद्यालय से सुरक्षाबल हटाना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 20.12.18 |
| 24. | अ0सू0–30 श्रीमती सीमा देवी | भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराना। | ,, ,, | 21.12.18 |
| *25. | अ0सू0–01 श्री अशोक कुमार | मतदान केन्द्र बदलना। | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी | 19.12.18 |
| 26. | अ0सू0–12 श्री प्रदीप यादव | पदाधिकारी पर कार्रवाई | गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन | 20.12.18 |
| 27. | अ0सू0–25 श्रीमती गंगोत्री कुजूर | सूखाग्रस्त घोषित करना। | ,, ,, | 20.12.18 |
| 28. | अ0सू0–38 श्री राजकुमार यादव | वेतन का भुगतान | ,, ,, | 22.12.18 |
| 29. | अ0सू0–13 श्री नलिन सोरेन | शिक्षिकों की नियुक्ति। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 20.12.18 |
| 30. | अ0सू0–29 श्रीमती सीमा देवी | प्रोन्नति का लाभ देना। | ,, ,, | 21.12.18 |
| 31. | अ0सू0–40 श्री प्रकाश राम | पर्यटन स्थल की रूप में विकसित करना। | पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 22.12.18 |
| 32. | अ0सू0–22 श्रीमती गंगोत्री कुजूर | उद्योग स्थापित करना। | उद्योग | 20.12.18 |
| 33. | अ0सू0–34 श्री चम्पाई सोरेन | वॉच टावर बनाना। | वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 22.12.18 |
| 34. | अ0सू0–39 श्री प्रकाश राम | कारखाना लगाना। | उद्योग | 22.12.18 |
| 35. | अ0सू0–16 श्री अनन्त कुमार ओझा | हस्तांतरित करना। | वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 20.12.18 |
| 36. | अ0सू0–09 श्री रामकुमार पाहन | नियुक्ति संबंधी नीति में सुधार | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा | 19.12.18 |
| 37. | अ0सू0–41 श्री ताला मराण्डी | कार्रवाई करना। | खान एवं भूतत्व | 22.12.18 |
| 38. | अ0सू0–28 श्री रामकुमार पाहन | क्रेशरों को चालू करना। | ,, ,, | 22.12.18 |
| 39. | अ0सू0–26 श्री नागेन्द्र महतो | नियुक्ति रद्द करना। | स्कूली शिखा एवं साक्षरता। | 20.12.18 |

कृ0पृ0उ0

16* – श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक:- 1894, दिनांक- 20/12/2018 द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में स्थानान्तरित।

21* स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक:- 1226, दिनांक- 20/12/18 द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित।

25* मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के ज्ञापांक:- 1499, दिनांक:- 21 दिसम्बर 2018 के द्वारा मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग में स्थानान्तरित।

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| *40. | अ0सू0-08 | प्रो0 जय प्रकाश वर्मा | पदाधिकारी का स्थानांतरण | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा | 19.12.18 |
| 41. | अ0सू0-15 | श्री अनन्त कुमार ओझा | नियम का सरलीकरण। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 20.12.18 |
| 42. | अ0सू0-33 | श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता | अंचलाधिकारी पर कार्रवाई | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा | 22.12.18 |
| 43. | अ0सू0-03 | श्री जगरनाथ महतो | सी0बी0आई0 जाँच कराना। | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन | 19.12.18 |

राँची,
दिनांक- 26 दिसम्बर,2018 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- प्रश्न-03/2015- 3690 /वि0स0,राँची,दिनांक- 24/12/18

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रामअशीष
24/12/18

(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- प्रश्न-03/2015- 3690 /वि0स0,राँची,दिनांक- 24/12/18

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

रामअशीष
24/12/18

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- प्रश्न-03/2015- 3690 /वि0स0,राँची,दिनांक- 24/12/18

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

रामअशीष
24/12/18

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

*40 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या- 1277, दिनांक- 21 दिसम्बर 2018 द्वारा योजना सह वित्त विभाग में स्थानान्तरित।

(1)

4832
24/12/2018

**श्री चम्पाई सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–43**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिलान्तर्गत गम्हरिया प्रखण्ड के चार पंचायत डुडरा, जयकान, ईटागढ़, सामरम तथा राजनगर के दो पंचायत गैंगरूली तथा केन्द्रमुण्डी के छात्र–छात्रायें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जमशेदपुर 15 किमी या सरायकेला 25 किमी जाना पड़ता है, जिससे छात्रों को पठन–पाठन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; | वस्तुस्थिति यह है कि सरायकेला–खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड में एस0एस0 +2 उच्च विद्यालय, गम्हीरया सरकार द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त गम्हरिया प्रखण्ड के अंतर्गत स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त दो इण्टर कॉलेज (i) सी0एन0सी0एस0 अकेडमी कॉलेज, आदित्यपुर एवं (ii) भारती इंटर कॉलेज, गम्हरिया संचालित है जहां क्रमशः 386 एवं 71 बच्चे इंटर तक की पढ़ाई कर रहे है।<br>राजनगर प्रखण्ड में एस0एस0 +2 उच्च विद्यालय, राजनगर एवं +2 बी0एल0 नेबोटिया, ईचा सरकार द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त राजनगर प्रखण्ड के अंतर्गत स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त दो इंटर कॉलेज (i) छोटानागपुर इंटर कॉलेज एवं (ii) कोल्हान इंटर कॉलेज, चालियामा डेम संचालित है, जहां क्रमशः 1470 एवं 3736 बच्चें इंटर तक की पढ़ाई कर रहें है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस0एस0 हाई स्कूल, जयकान को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | प्रश्नाधीन विद्यालय अर्थात् एस0एस0 उच्च विद्यालय, जयकान एक प्रस्तावित स्थापना अनुमति प्राप्त निजी प्रबंधन अंतर्गत संचालित विद्यालय है। ऐसे विद्यालय को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का निर्णय संबंधित प्रबंधन लेकर विहित प्रक्रिया के तहत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से स्थापना अनुमति प्राप्त कर संचालित किया जा सकता है। |

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

*झारखण्ड सरकार*
*स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग*

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–108/2018 4832 राँची, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव

02

4837
25/12/2018

**श्री ढुलू महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि डी0ए0वी0+2 उच्च विद्यालय, कतरासगढ़ बाघमारा क्षेत्र के सबसे पुरातन विद्यालय में से एक है, जिसे वित्त रहित संचालन की अनुमति 1984 में प्राप्त है ; | स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि डी0ए0वी +2 उच्च विद्यालय, कतरागढ़ एक इण्टर महाविद्यालय है, जो प्रबंधकारिणी समिति द्वारा संचालित है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा–सह–अपर सचिव, बिहार, पटना के ज्ञापांक–108 दिनांक 17.11.1984 के द्वारा सत्र 1984–66 के +2 की शिक्षा कला विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में पढ़ाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।<br>1. +2 की शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप इस विद्यालय के संबध में राज्य सरकार द्वारा अभी या भविष्य में किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।<br>2. +2 की शिक्षा का पाठ्यक्रम सम्प्रति वही होगा जो राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में लागू है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न) |
| 2 | क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विद्यालय का स्वरूप निर्धारण एवं सुविधा देने हेतु राज्य सरकार को निदेश दिया गया था, बावजूद न तो स्वरूप निर्धारण हुआ और न ही वित्त रहित संचालन की सुविधा प्राप्त हुई ; | माननीय सर्वोच्च न्यायालय डी0ए0वी0 +2 विद्यालय (इण्टर महाविद्यालय) के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश डी0ए0वी0 उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना में पत्रांक–2504 दिनांक 03.07.1975 के द्वारा डी0ए0वी0 उच्च विद्यालय, कतरास को धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालय (आर्य समाज द्वारा संचालित) घोषित किया गया था। इस विद्यालय का +2 संभाग (इण्टर महाविद्यालय) कोई संबंध नहीं है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय को वित्त रहित सुविधा उपलबध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | कंडिका–01 और 02 में उत्तर सन्निहित है। |

25/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

*झारखण्ड सरकार*
*स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग*

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)–104 / 2018 4837 राँची, दिनांक 25/12/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/2018
सरकार के अवर सचिव

(03)

4835
25/12/2018

**श्री शिवशंकर उराँव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–31**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के योग्य सदस्यों को राज्य की नौकरियों में संवैधानिक रूप से आरक्षण और स्थानीयता के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान है ; | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची की संकल्प ज्ञापांक–3854 दिनांक 01.06.2018 से स्थिति स्पष्ट की गयी है। समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प/निदेश का पालन सभी विभाग द्वारा किया जाता है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षित उच्च विद्यालय स्तरीय शिक्षकों की नियुक्तियों में राज्य सरकार ने स्थानीयता और आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित 700 सीटों में से 366 सीटों पर राज्य के स्थानीय समुदाय के उम्मीदवारों की तुलना में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को चयनित करके नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया है, जो गलत है ; | उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) में शिक्षक नियुक्ति का जिला स्तरीय संवर्ग है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षाफल जिलों को भेजा जाना प्रारंभ है। लगभग 17784 पदों के विरूद्ध चयन प्रक्रिया चल रही है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची का संकल्प ज्ञापांक–9567 दिनांक 11.11.2016 एवं अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक 14.07.2016 का अनुपालन किया जा रहा है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गलतियों का सुधार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है। |

25/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

***झारखण्ड सरकार***
***स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग***

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–107/2018 4835 राँची, दिनांक 25/12/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

(04)

4833
24/12/2018

**श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

| क्रं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में सौ से अधिक शैक्षणिक संस्थान विभिन्न धार्मिक स्थलों के निकट संचालित है जिससे पठन–पाठन कार्य व आवागमन में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है; | वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय खोलने तथा मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित है। संबंधित सक्षम प्राधिकार प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं। राज्य सरकार के पास प्रावधान के प्रतिकूल विद्यालय स्थापना की सूचना प्राप्त नहीं है। सुस्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित मामले के संबंध में तत्काल प्रभाव से कोई नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय जिला परिषद् एवं निजी प्रबंधन द्वारा संचालित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों का अधिग्रहण ''बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण एवं ग्रहण) अधिनियम, 1976'' तथा माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण ''बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 के द्वारा किया गया है।<br>निजी माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति क्रमशः ''झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 एवं ''झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005'' के प्रावधानों के तहत् दी जाती है।<br>शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने हेतु खोले गये विद्यालयों का स्थल चयन ग्राम शिक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में की गई है।<br>निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् विद्यालय की मान्यता का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य स्तर पर इसका कार्यान्वयन किया जाता है।<br>मदरसा/संस्कृत विद्यालय का संचालन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से होता है।<br>उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्/सी0बी0एस0ई0 इत्यादि के तहत् संचालित है। नियम उल्लंघन की सूचना विभाग या संबंधित रेग्यूलेटर को उपलब्ध होने पर कार्रवाई नियमित रूप से की जाती है। |

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

*झारखण्ड सरकार*

*स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग*

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–100/2018 4833 राँची, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

06

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-36

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि हैदर नगर ( पलामू) प्रखण्ड के ग्राम सिमरसोत में कस्तुरबा विद्यालय का शिलान्यास आठ माह पूर्व किया गया था परन्तु असामाजिक तत्वों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा डालने के चलते निर्माण कार्य बाधित है; | अस्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि हैदरनगर पलामू प्रखण्ड में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्त स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्राओं एवं लोकहित में उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रखण्ड में झारखण्ड बालिका आवसीय विद्यालय स्वीकृत किया गया है। प्रर्याप्त भूखण्ड अद्यतन उपलब्ध नहीं है। आवंटित भूखण्ड पर स्थानीय विवाद हो गया है। विवाद स्थानीय प्रशासन द्वारा समाधान के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। |

अकुशिहे
24/12/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-36/2018/...2030..... राँची, दिनांक ...24/12/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3656, दिनांक 21.12.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुशिहे
24/12/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

7

**श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–42 का प्रश्नोत्तर**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | क्या यह बात सही है कि उप समाहर्त्ता की कनीय प्रवर कोटि में बहुत अधिक पद रिक्त रहने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है एवं बहुत जिलों में मात्र एक पदाधिकारी ही कनीय प्रवर कोटि में है। | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उप समाहर्त्ता को कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति पांच वर्ष पूर्ण करने पर दिया जाता है। | स्वीकारात्मक । |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार द्वितीय एवं तृतीय झारखण्ड लोक सेवा आयोग से चयनित उप समाहर्त्ता को प्रोन्नति देने पर विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों? | प्रोन्नति के मामले में कालावधि एक निर्धारित शर्त है। इसके अलावा प्रोन्नति पर विचार करते समय पदाधिकारियों के विरूद्ध निलंबन, विभागीय कार्यवाही जिसमें आरोप पत्र निर्गत हो, न्यायिक कार्रवाई, जिसमें आपराधिक कार्यवाही, फौजदारी न्यायालय में लम्बित हो, निगरानी स्वच्छता पर भी विचार किया जाता है।<br>ऐसी स्थिति में उपर वर्णित उपबंधों को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रश्नाधीन बैच के पदाधिकारियों की प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। |

**झारखण्ड सरकार**

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक– 4 / विधानसभा–08–02 / 2018 का॰ 9359 / राँची, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 3661 वि.स. दिनांक 22.12.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

(ओम प्रकाश साह)
**सरकार के उप सचिव।**

(8)

## माननीय स०वि०स० श्री देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20 से संबंधित उत्तर सामग्री

| क्रं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी, मनातू एवं तरहसी प्रखण्ड में अत्याधिक आबादी के कारण आम ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्य के लिए डालटेनगंज जाना पड़ता है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि समय–समय पर पांकी प्रखण्ड को अनुमण्डल का दर्जा देने हेतु अधियाचना भेजी गयी है; | स्वीकारात्मक।<br>आयुक्त, पालामु प्रमण्डल, मेदिनीनगर के पत्रांक–1461 दिनांक–26.12.2008 के द्वारा 'मनातु' 'लेस्लीगंज', 'तरहसी' एवं 'पांकी' प्रखण्ड को मिलाकर 'पांकी' अनुमण्डल के गठन की अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्राप्त है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पांकी, मनातू, तरहसी प्रखण्ड को मिलाकर पांकी को अनुमण्डल बनाने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक में रखा जाता है एवं उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है।<br>पूर्व में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर एवं उपायुक्त, पलामू की अनुशंसा (यथा उपर्युक्त कंडिका 2 में वर्णित) मे प्रस्तावित **'पांकी अनुमण्डल'** अंतर्गत **'मनातु'**, **'लेस्लीगंज'**, **'तरहसी'** एवं **'पांकी'** प्रखण्ड शामिल थे।<br>प्रस्तावित पांकी अनुमंडल के अधीन पड़ने वाले प्रखण्डों में विवेचनाधीन प्रश्न में प्रस्तावित परिवर्तन के आधार पर संशोधित प्रस्ताव आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर एवं उपायुक्त, पलामू की अनुशंसा सहित प्राप्त नही है।<br>एतदर्थ संशोधित प्रस्ताव आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर की अनुशंसा सहित उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–9322 दिनांक–24.12.2018 के द्वारा उपायुक्त पलामू से अनुरोध किया गया है।<br>पांकी अनुमंडल के सृजन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर एवं उपायुक्त, पलामू की अनुशंसा सहित प्राप्त होने के पश्चात उक्त प्रस्ताव को प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। प्रस्तावित पांकी अनुमंडल के सृजन के प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने की स्थिति में इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। |

**झारखण्ड सरकार**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक–15 / झा०वि०स०–15–24 / 2018 का०– 9348 /राँची, दिनांक– 24.12.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3577 दिनांक–20.12.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 24/12/18
(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

9

**श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का उत्तर ।**

---

| क्रम सं० | अल्पसूचित प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य की वित्तीय खास्ताहाल के कारण केन्द्र प्रायोजित योजनायें एवं राज्य की तमाम योजनायें लंबित पड़ी हुई है ? | उत्तर अस्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह नवम्बर तक की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह नवम्बर तक राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। |
| 2. | क्या यह बात भी सही है कि इस वित्तीय खास्ताहाल के कारण 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है ? | उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकारी कर्मियों को वेतन का भुगतान ससमय हो रहा है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार राज्य को इस वित्तीय खास्ताहाल से उबारने हेतु कोई समुचित ठोस उपाय करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | स्थिति उपर की कंडिकाओं में स्पष्ट कर दी गई है। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हेतु राज्य सरकार सतत प्रत्यनशील है। |

**झारखण्ड सरकार**
**योजना सह वित्त विभाग**
**(वित्त प्रभाग)**

ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–25 / 2018 / ....५८७.... राँची, दिनांक : 24/12/2018

**प्रतिलिपि** : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3559 / वि०स०, दिनांक–19.12.2018 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.12.18

**( अविनाश कुमार सिंह )**
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

(10)

**श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–32 का उत्तर सामग्री :–**

| 1 | प्रश्नकर्त्ता<br>**श्री बिरंची नारायण**<br>माननीय सदस्य विधानसभा। | उत्तरदाता<br>**श्री राज पलिवार**<br>माननीय मंत्री,<br>श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,<br>झारखंड सरकार। |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि बोकारो में करीब 32,000 मजदूर ESI के तहत निबंधित है ? | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि बोकारो में ESI अस्पताल नहीं है ? | उत्तर स्वीकारात्मक है।<br>(बोकारो क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक औषधालय कार्यरत है एवं टाई अप अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्ट उपचार प्रदान की जा रही है) |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मजदूरों के कल्यानार्थ बोकारो विधान सभा क्षेत्र में ESI अस्पताल खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 163वीं बैठक के निर्णयानुसार 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के स्थापना हेतु योजना व्याप्त क्षेत्रों के 25 कि०मी० के दायरे में कम से कम 50,000 बीमितों की संख्या अनिवार्य है। वर्त्तमान में इस क्षेत्र में यह संख्या नहीं है। जब उक्त क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्णयानुसार बीमित व्यक्तियों की निश्चित संख्या हो जायेगी तो उस क्षेत्र में अस्पताल खोलने पर विचार किया जायेगा। |

विश्वासभाजन,

ह०/–
**(युगेश्वर पासवान)**
सरकार के उप सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

**ज्ञापांक–01 / श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–52 / 2018श्र०नि०–** 1918 **राँची, दिनांक–** 24/12/2018.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3670, दिनांक–22.12.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.12.18
**सरकार के उप सचिव,**

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-52-2018.docx

(11)

**श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–35 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि किसी व्यक्ति को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के परिक्षेत्र के भीतर लाये जाने के पूर्व, उसे जनजाति से सम्बन्धित होना चाहिए राष्ट्रपतीय आदेश का लाभ अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति को जनजाति का सदस्य होने की शर्त्त पूर्ण करना होगा और निरंतर जनजाति का सदस्य बने रहना होगा। यदि एक भिन्न धर्म में धर्मांतरण के कारण, काफी समय पूर्व वह/उसके पूर्वज रूढ़ि, अनुष्ठान और अन्य परम्पराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, जिन्हें उस जनजाति के सदस्यों के द्वारा अनुशरण किए जाने की अपेक्षा की जाती है और उत्तराधिकारी, विरासत, विवाह इत्यादि की रूढ़िगत विधियों विधियों का भी अनुशरण नहीं कर रहे हैं, तो जनजाति का सदस्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है ; | अंशतः स्वीकारात्मक।<br>माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्रीमीनल अपील सं0–240/1997 केरल राज्य एवं अन्य बनाम चन्द्रमोहन में दिनांक–28.01.2004 को पारित न्यायनिर्णय ".....Before a person can be brought within the purview of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, he must belong to a Tribe. A person for the purpose of obtaining the benefits of the Presidential order must fulfill the condition of being a member of a tribe and continue to be a member of the Tribe. If by reason of coversion to a different religion a long time back, he/his ancestors have not been following the customs, rituals and other traits, which are required to be followed by the member of the Tribe and even had not been following the Customary Laws of Succession, Inheritance, Marriage etc., he may not be accepted to be a member of a Tribe....." के आलोक में जनजाति समुदाय के वैसे लोग जो धर्म परिवर्तन के कारण जनजातीय रीति–रिवाजों, अनुष्ठानों एवं अन्य परम्पराओं आदि का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण की सुविधाओं से वंचित किया जाना है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में ऐसे मतांतरित समुदायों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य सभी क्षेत्रों में अवसरों का लाभ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल राज्य एवं एक अन्य बनाम चन्द्रमोहनन वाद के आलोक में 2004 (2) सी0सी0एस0सी0 633(उच्चतम न्यायालय), दाण्डिक अपील संख्या–240 वर्ष 1997, 28 जनवरी 2004 के निर्णय का उलंघन करके दिया जा रहा है ; | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित न्यायादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सरकार द्वारा दिशानिदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के अमतांतरित मूल अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक हक और अधिकारों के तहत न्याय प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों? | उपर्युक्त कंडिका 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

**झारखण्ड सरकार,**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–35/2018 का0– 9344 /रांची, दिनांक– 24.12.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3663 वि0स0, दिनांक–22.12.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(12)

| श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का उत्तर सामग्री। | | |
|---|---|---|
| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 लागू होने के बाद से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों का स्थानांतरण एक विभाग से दूसरे विभाग में किया जा सकता है: | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि 20 वर्षों के अधिक समय से एक ही विभाग में पदस्थापित रहने से विभाग में उस कर्मचारी की अच्छी पैठ बन जाती है जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है: | अस्वीकारात्मक।<br>किसी पदधारक के विरूद्ध भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आने पर कार्रवाई की जाती है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि सचिवालय सेवा के बहुत से लिपिक जिनकी नियुक्ति के समय से अब तक कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है: | विभिन्न विभागों से पदस्थापन हेतु प्राप्त अधियाचना, कार्यहित एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए निर्धारित सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के पदधारकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन समय–समय पर किया जाता है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे लिपिकों का स्थानांतरण अन्यत्र विभाग में करने का विचार रखती है, जो 20 वर्षों से एक ही विभाग में पदस्थापित हैं, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों? | 20 वर्षों से एक ही विभाग में पदस्थापित पदधारकों को चिन्हित कर कार्यहित एवं आवश्यकतानुसार अन्य विभाग में स्थानांतरण एवं पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। |

**झारखण्ड, राँची।**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

सं0सं0– 12/वि0स0–11–01/2018 का0 .....9339...../ राँची, दिनांक– 24/12/2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 3627 दिनांक–20.12.2018 के आलोक में उत्तर सामग्री 200 (दो सौ) प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18
(संजय कुमार दूबे)
सरकार के अवर सचिव।

(13)

**श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/ अधिवेशन में दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू० 21 का उत्तर।**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1.) क्या यह बात सही है कि वामिश एवं कुबेर विपत्रीकरण प्रक्रिया में GST संबंधित सुधार नहीं किये जाने से सरकार के सभी कार्य विभागों में विकास कार्यों के विपत्रों का भुगतान 01.10.2018 से बाधित है? | **आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** |
| (2.) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वामिश एवं कुबेर भुगतान प्रक्रिया में आवश्यक सुधार कर विपत्र के भुगतान का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इस प्रक्रिया से जुड़े तीन Softwares यथा WAMIS, KUBER तथा GSTN को Integrate करते हुए वांछित दिशा–निर्देश विभागीय पत्रांक 3168/वि० दिनांक 24.12.2018 द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप भुगतान की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी। |

***झारखण्ड सरकार***
***योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)***

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)–26/2018.....172/1900 राँची/दिनांक: 24.12.18

**प्रतिलिपि :** प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 3578/वि०स०, दिनांक 20.12.2018 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18

**(अविनाश कुमार सिंह)**
संयुक्त सचिव
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

(14)

**डॉ0 राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू–18**

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

| क0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1- | क्या यह बात सही है, झारखण्ड सरकार के द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रो के निवासियों के हितों की रक्षा, आधारभूत संरचना एवं नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी जिलो में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन वर्ष 2015 में किया गया है; | झारखण्ड खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 दिनांक 23.03.2016 को झारखण्ड असाधारण गजट संख्या–216 द्वारा अधिसूचित किया गया। उक्त के आलोक में सभी 24 जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट गठन किया गया। दिनांक 27 जनवरी, 2017 को झारखण्ड असाधारण गजट संख्या–109 द्वारा झारखण्ड खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 को संशोधित करते हुए झारखण्ड खनिज फाउण्डेशन वृहत खनिजों के साथ साथ लघु खनिजों पर भी लागू किया गया। |
| 2- | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार बताएगी कि नवम्बर, 2015 से नवम्बर, 2018 तक झारखण्ड प्रदेश के सभी जिलो में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के अंतर्गत कुल कितनी राशि उपलब्ध हुई तथा खनन प्रभावित क्षेत्रो में आधारभूत संरचना एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए कितनी राशि व्यय की गई, क्या सरकार उक्त राशि के सम्बन्ध में जिलावार एवं कार्यो के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों? | गठन के उपरान्त अबतक नवम्बर, 2018 तक कुल 3393.80 करोड़ रूपये झारखण्ड खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट कोष में प्राप्त हुआ है जिससे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के अन्तर्गत कुल 1214 नियमानुकूल खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए चयनित योजनाओं के विरूद्ध कुल 2079.05 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई जिसमें कुल 750.80 करोड़ रूपये खर्च की जा चुकी है।<br>जिलावार राशि की प्राप्ति एवं खर्च की जानकारी इस उत्तर के साथ संलग्न की जा रही है। |

**झारखण्ड सरकार**
**खान एवं भूतत्व विभाग**

ज्ञापांक:– वि0स0(ता0)–30/18 904 /एम0, राँची, दिनांक– 24.12.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3575 दिनांक 20.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18
सरकार के संयुक्त सचिव

(15)

**श्री राज कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–37**

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–  माननीय मंत्रीः–

| क0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1- | क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला एवं कोडरमा जिला में माईका ढ़ीबरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसका पाउडर विदेशों में निर्यात किया जाता है; | स्वीकारात्मक।<br>परंतु उल्लेख करना है कि ढ़ीबरा लघु खनिज की श्रेणी में नहीं आता है। अपितु यह पुराने माइका खनन कार्य का वेस्ट मेटेरियल अवशेष है। |
| 2- | क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों जिलों के सुदूर पहाड़ी ग्रामीण इलाकों के लाखों परिवारों के जीवन–यापन का मुख्य आधार माईका ढ़ीबरा चुनकर/बिकी कर किया जाता है; | यह विभाग से संबंधित नहीं है। |
| 3- | क्या यह बात सही है कि गरीब ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर झूठे केस–मुकदमें दर्ज कर इन्हें परेशान किया जा रहा है; | यह विभाग से संबंधित नहीं है। |
| 4- | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार माईका ढ़ीबरा को लघु खनिज में शामिल कर तथा माईका पाउडर का कारखाना लगाकर रोजगार मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? | यथा कंडिका–1 |

**झारखण्ड सरकार**
**खान एवं भूतत्व विभाग**

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–32/18 919 /एम0, राँची, दिनांक– 25.12.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3664 दिनांक 22.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.12.18
सरकार के संयुक्त सचिव

(16)

माननीय स.वि.स. श्री मनीष जायसवाल द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 19 का उत्तर सामग्री

| क्र.सं. | प्रश्नकर्ता<br>माननीय स.वि.स. श्री मनीष जायसवाल | उत्तरदाता<br>डॉ0 (श्रीमती) नीरा यादव, माननीय मंत्री उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 23 पद प्राचार्य, 21 पद उप–प्राचार्य, 1193 पद इंस्ट्रक्टर तथा 300 से अधिक लिपिकों का पद विगत 15 वर्षों से रिक्त है जहाँ प्रतिवर्ष 32 ट्रेड के कोर्स कराएँ जाते हैं; | यह झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी से संबंधित नहीं है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि सरकार कौशल विकास मिशन के तहत युवा बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उल्पावधि के अनेक कोर्स करा रही है जिस पर सरकार के करोड़ों रूपये की राशि प्रतिवर्ष खर्च हो रही है, जिसके विरूद्ध प्रतिवर्ष लगभग 8792 प्रशिक्षाणर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं तथा प्रशिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोजित किया जाता है, जिसकी वर्ष 2018 की अद्यतन स्थिति निम्नवत है–<br>कुल प्रशिक्षित – 26969<br>कुल Placement offer – 25300<br>वर्तमान में प्रशिक्षणरत – 16537 |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार रिक्त पदों पर चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों; | उपरोक्त कंडिका –1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक : झा0कौ0वि0मि0 / विस–25 / 2018– 1947 राँची / दिनांक 24.12.18

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3576 वि0स0 दिनांक 20.12.2018 के अनुपालन में (200 प्रतियों में) / अवर सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/12/2018

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

16

**श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–19 का उत्तर सामग्री :–**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य के 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 23 पद प्राचार्य, 21 पद उप–प्राचार्य, 1193 पद इंस्ट्रक्टर तथा 300 से अधिक लिपिकों का पद विगत 15 वर्षों से रिक्त है जहाँ प्रतिवर्ष 32 ट्रेड के कोर्स कराएँ जाते है; | उत्तर– स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि सरकार कौशल विकास मिशन के तहत् युवा बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अल्पावधि के अनेक कोर्स करा रही है जिसपर सरकार के करोड़ों रूपये की राशि प्रतिवर्ष खर्च हो रही है, जिसके विरूद्ध प्रतिवर्ष लगभग 8792 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं तथा प्रशिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोजित किया जाता है, जिसकी वर्ष 2018 की अद्यतन स्थिति निम्नवत है–<br>कुल प्रशिक्षित – 26969<br>कुल Placement offer – 25300<br>वर्तमान में प्रशिक्षणरत – 16537 |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रिक्त पदों पर चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग झारखण्ड, राँची को पत्र प्रेषित किया गया एवं प्रक्रियाधीन है। |

विश्वासभाजन,

ह०/–
**(युगेश्वर पासवान)**
सरकार के उप सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

**ज्ञापांक–01 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–49 / 2018श्र0नि0–** 1914 **राँची, दिनांक–** 24/12/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3576, दिनांक–20.12.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.12.18
**सरकार के उप सचिव,**
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-49-2018.docx

(17)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री साधु चरण महतो, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–04

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -** | **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार** |
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के पारा शिक्षकों का मानदेय कम रहने के कारण पारा शिक्षकों द्वारा बार–बार धरना प्रदर्शन से शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, | वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा गारण्टी योजना के अधीन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही पारा शिक्षक चयनित हो कर संविदा के अनुरूप कार्यरत हैं।<br>संविदा शर्तों के अनुरूप सुविधाएँ देय हैं। यह बात सही है कि समय.समय पर काफी लम्बी हड़ताल किया जाता है। इससे छात्र हित प्रतिकूल पर असर पड़ता है। अगस्त 2015 में माननीय मंत्री के साथ विमर्श के क्रम में एकरारनामा हुआ था, जिसमें पारा शिक्षक संघ सहमत था कि भविष्य में हड़ताल नहीं करेगा। संबंधित शर्त का उल्लंघन कर पुनः हड़ताल पर हैं। यह एकरारनामा की शर्तों के भी प्रतिकूल है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में पारा शिक्षकों की सेवा नियमित या मानदेय 30,000.00 रुपया प्रतिमाह देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | पारा शिक्षकों को मानदेय सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की 60:40 अनुपात हिस्सेदारी होती है। यह सर्व शिक्षा अभियान तथा वर्त्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत हैं। योजना के अधीन कार्यरत कर्मी योजना के कर्मी हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू(पी) (पी-आई-एल) 5684/2012 में दिनांक 09.10.2012 के आदेश में बैकडोर इंट्री पर रोक के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित आदेशों को अंकित किया गया है। उक्त |

Rkursh-d

| | | |
|---|---|---|
| | | न्यायनिदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी पाया गया है कि इस तरीके का व्यवधान शिक्षा के अधिकार तथा छात्र के शिक्षा के अधिकार पर व्यवधान है।<br>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मामले में एस-एल-पी-9529/2017 में उत्तर प्रदेश के नियमितिकरण आदेश को निरस्त कर दिया था।<br>राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षक रिक्तियों की भर्ती में अधिसूचना संख्या-2102, दिनांक 22.10.2014 के द्वारा 50 प्रतिशत पद आरक्षित किया गया है। उम्र में भी 50 वर्ष की सीमा तय की थी।<br>उक्त के क्रम में सेवा नियमित शिक्षक के स्वीकृत पद पर सीधे नियमित करना स्थापित प्रक्रिया तथा न्यायादेश के अनुकूल नहीं होगा। |

अकुसिंह
25/12/18
**सरकार के अवर सचिव**

**झारखण्ड सरकार**
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक .....2034..... राँची, दिनांक .....25/12/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3565, दिनांक 19.12.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह
25/12/18
**सरकार के अवर सचिव**

Khurshid

18

श्रीमती विमला प्रधान मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर प्रतिवेदन

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार की जिम्मेवारी जनसम्पर्क विभाग की है; | स्वीकारात्मक |
| 2 | क्या यह बात सही है कि जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य के जिला मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय तक ही कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि इसे पंचायत स्तर तक ले जाने की जिम्मेवारी है; | अस्वीकारात्मक<br>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं, सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार पंचायत एवं ग्राम स्तर तक किया जाता है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के किसी भी पंचायत मुख्यालय में किसी भी प्रकार का राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं दी जा रही है; | अस्वीकारात्मक<br>सिमडेगा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में नुकड़ नाटक, पोस्टर, पम्पलेट, मेला प्रदर्शनी, फ्लैक्स होर्डिंग, LED VAN के माध्यम से पंचायत एवं ग्राम स्तर तक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार पंचायत मुख्यालय तक करवाने की व्यवस्था करना चाहती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

ह0/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(विस)06/01/18–सू०ज०स०...575... रांची दिनांक 25-12-2018

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 3635, दिनांक 20.12.2018 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18
सरकार के उप सचिव

19

श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर सामग्री :–

| 1 | प्रश्नकर्त्ता<br>**श्री ढुलू महतो,**<br>माननीय सदस्य विधानसभा। | उत्तरदाता<br>**श्री राज पलिवार**<br>माननीय मंत्री,<br>श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,<br>झारखंड सरकार। |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि कोयलांचल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ट्रकों में कोयला लदाई कर जीवन–यापन एकमात्र रोजगार का साधन है; | आंशिक स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि कोयला कम्पनियाँ ई–ऑक्सन के माध्यम से कोयला की निलामी करती है जिसे व्यवसायी ट्रकों के माध्यम से अपने गन्तव्य को ले जाते है; | केन्द्रीय खनन विभाग (कोयला मंत्रायल) से संबंधित है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि विगत दो माह से कोयला कम्पनी ने ई–ऑक्सन बंद कर दिया है जिससे लगभग 25000 असंगठित मजदूरों का रोजगार छिन गया है और वे भूखों मरने के कगार पर है; | केन्द्रीय खनन विभाग (कोयला मंत्रायल) से संबंधित है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षेत्र के असंगठित मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए ई–ऑक्सन चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त में स्पष्ट कर दिया गया है। |

विश्वासभाजन,

ह०/–
**(युगेश्वर पासवान)**
सरकार के उप सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

**ज्ञापांक–01 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–50 / 2018श्र0नि0–** 1915 **राँची, दिनांक–** 24/12/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3623, दिनांक–20.12.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.12.18
**सरकार के उप सचिव,**
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-50-2018.docx

(20)

## श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.12.2018 के लिए प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन

| अल्प–सूचित प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के सभी प्रखण्डों सहित राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड प्रदेश के 129 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि सुखा प्रभावित 129 प्रखण्डों में सहाय्य कार्य चलाने की कौन सी योजना बनाने का विचार करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | विभागीय अधिसूचना सं०–1020 दिनांक–18.11.2018 द्वारा पलामू जिला का सभी प्रखण्डों के साथ कुल 18 जिलों के 129 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के उपरांत तत्काल राहत पहुँचाने के निमित दिनांक–20.11.2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए –<br>(i) सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुनिश्चित करने हेतु NDRF/SDRF के norms of assistance के अनुसार 94,36,35,000/– रूपये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।<br>(ii) किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के रूप में (33% से अधिक फसल क्षति होने पर अधिकतम 2 हे. प्रति किसान की सीमा तक) प्रति हे. सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500/–रूपये एवं असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800/–रूपये की दर से किसानों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–1103 दिनांक–14.12.2018 द्वारा संबंधित सभी 18 जिलों के उपायुक्तों से खरीफ, 2018 के फसल कटनी के प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में अधियाचना की मांग की गई है।<br>(iii) इस अंतरिम अवधि में सूखाग्रस्त इलाकों/प्रखण्डों में NDRF/SDRF के वर्णित Items & Norms of assistance के अनुसार तत्काल राहत पहुँचाने के निमित्त प्रभावित 18 जिलों को एक–एक करोड़ रूपया (कुल 18.00 करोड़ रूपया) आवंटित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में प्रभावित जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।<br>इसके अलावे NDRF/SDRF के norms of assistance में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित विभागों से अधियाचना प्राप्त कर Memorandum के माध्यम से भारत सरकार से कुल 818.938 करोड़ रूपये की सहायता राशि की मांग की गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग**
**(आपदा प्रबंधन प्रभाग)**

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–24/2018–1133/आ०प्र०, दिनांक– 22.12.18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3560 दिनांक–19.12.2018 के प्रसंग में/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/18

सरकार के अवर सचिव।

(21)

## श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-05

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि के0के0एम0 महाविद्यालय, पाकुड़ में स्नातकोत्तर (पी0जी0) की पढ़ाई नहीं होने के कारण छात्रों को पी0जी0 की पढ़ाई के लिए दुमका, राँची एवं भागलपुर जाना पड़ता है, जो गरीब छात्रों के लिए संभव नहीं है। इस कारण वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित हो रहे हैं। | अंशतः स्वीकारात्मक है।<br>सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के अन्तर्गत स्नातकोत्तर (पी0जी0) की पढ़ाई स्नातकोत्तर विभाग, दुमका, दवेघर कॉलेज, देवघर, ए0एस0 कॉलेज, देवघर, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा तथा साहिबगंज कॉलेज, साहिबगंज में संचालित है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार के0के0एम0 कॉलेज, पाकुड़ में स्नातकोत्तर (पी0जी0) की पढ़ाई अगले सत्र से प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों? | झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित) की धारा-4(17) के प्रावधान अनुसार आधारभूत संरचना के आलोक में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालय सक्षम प्राधिकार है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक 1/वि0स0-74/2018.2469/ रांची दिनांक-24/12/18/

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक-3566 दिनांक-19.12.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(22)

*श्री अशोक कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 26.12.18 को पृच्छित अल्प सूचित प्रश्न संख्या –02 का उत्तरः–*

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री अशोक कुमार, मा० सदस्य विधान सभा | *श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा प्रखण्ड में खेलकूद हेतु कोई स्टेडियम नहीं है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखण्ड अंतर्गत रामसुंदर राम उच्च विद्यालय बेलबड्डा में स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है; | उपायुक्त, गोड्डा से प्रतिवेदन की मांग की गई है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम बेलबड्डा में स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भूमि विवरणी सहित जिले से प्राप्त होने पर बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–70/2018 1702/ राँची, दिनांक 24-12-18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप० सं० 3558/वि०स० दिनांक 19.12.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**सरकार के अपर सचिव**
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(23)

4827
24/12/2018

**श्री अरूप चटर्जी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला अंतर्गत बिरसा स्कूल किताहातु, राज्यकृत अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय हट, अड़की,के0वी0 हाई स्कूल अड़की, मध्य विद्यालय कोरा, प्रोजेक्ट हाई स्कूल बीरबंकी, कुरगा, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कुरगा, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कोचांग, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सारडा एवं केवरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सुरक्षा बल स्थापित हो गये है ; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।<br>वस्तुस्थिति यह है कि मात्र रा0उ0म0वि0, केवड़ा एवं रा0म0वि0, कुरूंगा में ही विद्यालय परिसर में पुलिस बल स्थापित है।<br>राजकीयकृत अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, हुंठ एवं के0बी0 हाई स्कूल, अड़की के परिसर से सी0आर0पी0 कैम्प का परिसर अलग है। प्रो0 उच्च विद्यालय, बिरबांकी के भवन को उग्रवादियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।<br>बच्चों की संख्या कम रहने के कारण उ0म0वि0, कोचांग एवं रा0म0वि0, कुरूंगा को क्रमशः रा0म0वि0, रूगुदडीह एवं उ0प्रा0वि0, लुपुंगपीड़ी में विलय कर दिया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में सुरक्षा बल तैनात रहने के कारण लगभग 400 बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन हो रहा है ; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित विद्यालयों में स्थापित सुरक्षा बलों को हटाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्यालय परिसर यथाशीघ्र खाली करने की कार्रवाई की जा रही है। |

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

*झारखण्ड सरकार*
*स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग*

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–101/2018 4827 राँची, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

4830
24/12/2018

**श्रीमती सीमा देवी मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–30**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के राहे प्रखण्ड अन्तर्गत डोकाद पंचायत स्थित डोकाद गाँव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन वर्ष–2015 से निर्माण कार्य शुरू हुआ परन्तु यह अबतक पूर्ण नहीं हुआ है ; | स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि रुपये 60 लाख के लागत से 06 (छः) विद्यार्थी कक्ष (21 x 25) तथा एक प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त भवन के पूर्ण नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है ; | वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डोकाद में वर्तमान में 92 छात्र नामांकित है। वर्तमान में सभी छात्रों के लिए मध्य विद्यालय डोकाद में पूर्व से उपलब्ध 07 कमरों में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ज्ञातव्य हो कि मध्य विद्यालय डोकाद को ही उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है एवं दोनों विद्यालय संयुक्त रूप से एक ही परिसर में संचालित है। वर्तमान में एक ही विद्यालय उच्च विद्यालय, डोकाद के रूप में जाना जायेगा। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में विद्यालय भवन का कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। भूतल में प्लास्टर के उपरांत खिड़की दरवाजा लगाया जा चुका है एवं प्रथम तल पर प्लास्टर एवं खिड़की दरवाजा लगाने का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य मार्च, 2019 के पूर्व पूर्ण हो जायेगा। |

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

*झारखण्ड सरकार*
*स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग*

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–106/2018 4830 राँची, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि 26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–01 का उत्तर सामग्री

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–कोकरा मिलिक में करीब 200 मतदाता हैं, जिसका मतदान केन्द्र गांव से करीब 5–6 किलोमीटर दूरी पर ग्राम गंझडा बुथ का संख्या–132 में किया गया है। | उत्तर स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि वर्णित गांव (कोकरा मिलिक) से बिल्कुल नजदीक करीब 1000 फीट की दूरी पर ग्राम बेलबड्डा में बुथ संख्या–114 स्थित है। | उत्तर स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि वर्णित गांव के मतदाता कमजोर वर्ग के है, जिसे अपने गांव से 5–6 किलोमीटर दूर जाकर मतदान करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। | उत्तर स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मेहरमा प्रखण्ड अर्न्तगत ग्राम–कोकरा मिलिक के मतदाताओं का मतदान केन्द्र गझंडा बुथ संख्या–132 से बदलकर ग्राम–बेलबड्डा बुथ नं0–114 में करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | स्वीकारात्मक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–337, दिनांक–24.12.2018 के द्वारा संसूचित किया गया है कि बुथ परिवर्तन के संबंध में स्थल जाँचोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा। |

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग।

ज्ञापांकः–02/नि0वि0स0प्र0–26–07/2018/3173 राँची/दिनांक–24/12/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3557, दिनांक–19.12.2018 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

24.12.18

(महादेव धान)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।

DPA (26)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सी०आई०डी० जांच में खुलासा हुआ है कि धनबाद में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार होता है ; | धनबाद में कोयला चोरी एवं अवैध कोयला कारोबार की सूचना, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–41/गो०, दिनांक–01.12.2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि सी०आई०डी० ने अपने जांच में बड़े कारोबारियों के साथ–साथ वरीय पुलिस पदाधिकारियों का नाम भी पुलिस मुख्यालय को भेज दी है ; | पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक–2117, दिनांक–24.12.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि–<br>"अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची ने अपने उक्त प्रतिवेदन में कोयला चोरो के साथ–साथ कोयला चोरी स्थानों का उल्लेख किया है। किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी की कोयला चोरी के कारोबार में संलिप्तता की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आयी है।" |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त जांच में दोषी पाये गये लोगों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में, वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को जिला खनन पदाधिकारी, वन विभाग के पदाधिकारी तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को मिलाकर टास्क फोर्स का गठन कर कोयला चोरी के कारोबार पर पूर्ण रोकथाम हेतु कार्रवाई का निदेश दिया गया है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–912/2018–7239/ राँची, दिनांक–25/12/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3624, दिनांक–20.12.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

सरकार के अपर सचिव।

(27)

## श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स०वि०स०–द्वारा दिनांक–26.12.2018 के लिए प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन

| अल्प–सूचित प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 के दौरान मांडर विधान सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों में कम बारिश होने की वजह से धान का फसल नष्ट हो गया है जबकि चान्हों, लापुंग, बेड़ो, इटकी एवं मांडर में से सिर्फ इटकी प्रखण्ड को ही सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इटकी प्रखण्ड की भाँति मांडर विधान सभा के बचे सभी प्रखण्डों चान्हों, लापुंग, बेड़ो एवं मांडर को भी सूखाग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | Manual for Drought Management, 2016 के अध्याय 3 के कंडिका 3.3 process for the determination of Drought में अंकित प्रावधानों के अनुसार कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा गणना करते हुए 18 जिलों के 129 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने की अनुशंसा आपदा प्रबंधन प्रभाग से की गई, जिसके आलोक में संबंधित प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा राँची जिले के चान्हों, लापुंग, बेड़ो एवं मांडर प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की अनुशंसा नहीं की गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग**
**(आपदा प्रबंधन प्रभाग)**

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–25 / 2018–1134 / आ०प्र०, दिनांक– 22.12.18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3625 दिनांक–20.12.2018 के प्रसंग में / प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/18

सरकार के अवर सचिव।

(28)

श्री राजकुमार यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा गृह सचिव, एवं वित्त सचिव को जनवरी, 2018 के प्रभाव से पुलिस कर्मियों को 13 महीने का वेतन भुगतान जारी करने का आदेश दिया है; | आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष–2017–18 के बजट अभिभाषण में झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की घोषणा सरकार द्वारा की गयी है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद भी अब तक पुलिस कर्मियों को 13 महिने का वेतन अब तक भुगतान नहीं किया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पुलिस कर्मियों को 13 महीनों का वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों यथा चतुर्थ वर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक को अवकाश के दिनों में भी विधि व्यवस्था इत्यादि संबंधी कार्यों के निर्वहन करने एवं उनकी कठिन सेवाओं के एवज में वर्ष में एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–12/2018–7241/ राँची, दिनांक–25/12/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3666, दिनांक–22.12.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

सरकार के अपर सचिव।

(29) 4829 24/12/2018

**श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13**

माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड शिकारीपाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ; | वस्तुस्थिति यह है कि दुमका जिला शिड्यूल एरिया के अन्तर्गत है। इस जिला का सभी प्रखण्ड इसी का भाग है। शिकारीपाड़ा प्रखण्ड दुमका जिला का एक प्रखण्ड है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड रानेश्वर अंतर्गत उच्च विद्यालय में सृजित पदों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है ; | वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन विद्यालयों में मध्य विद्यालयों के उच्च योग्यताधारी शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर पठन–पाठन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।<br>2. कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा प्रस्तावित अधियाचना 870 के विरूद्ध चयन कर कुल 431 अभ्यर्थियों का शिक्षक/शिक्षिकाओं के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है। अनुशंसित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में जिला स्थापना शिक्षा समिति की बैठक आहूत कर उच्च विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापन रिक्त पदों पर किया जायेगा। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि सृजित पदों के अनुरूप सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से छात्र/छात्राओं की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तथा इस कारण वार्षिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं ; | वस्तुस्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट की गई है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त उच्च विद्यालय में सृजित पदों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | वस्तुस्थिति कंडिका–2 एवं 3 में स्पष्ट की गई है। |

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

*झारखण्ड सरकार*
*स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग*

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–102/2018 4829 राँची, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18
सरकार के अवर सचिव।

(30)

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**श्रीमती सीमा देवी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-29**

| **क्रमांक** | **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-** | **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, सरकार** |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिले में राज्य सरकार के आदेश के बावजूद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेड-II, III, IV एवं VII में विगत 10 वर्षों से प्रोन्नति नहीं दी गई है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि ग्रेड-II में प्रोन्नति दी गई है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रोन्नति ग्रेड का लाभ हजारीबाग के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को दो वर्ष पूर्व ही मिल चुका है; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हजारीबाग शिक्षकों की तरह रामगढ़ जिले के शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ही देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग है, हर जिले में अलग-अलग वरीयता सूची तैयार कर रिक्त पद तथा रोस्टर के आधार पर प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधान के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जिला स्थापना समिति के निर्णय के बाद प्रोन्नति आदेश उप विकास आयुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाता है। पूर्ववर्ती जिला शिक्षा अधीक्षक से विलंब हेतु अलग से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। वर्त्तमान में उपयुक्त/जिला शिक्षा अधीक्षक को तीन माह के अंदर मामले का निष्पादन प्राथमिकता पर करने का निदेश दिया जा रहा है। |

अकु सिंह
24/12/18
**सरकार के अवर सचिव**

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**ज्ञापांक :** 13/प्र.2-25/18-2029 **राँची,** **दिनांक** 24/12/18

**प्रतिलिपि :** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक -3658, दिनांक 21.12.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकु सिंह
24/12/18
**सरकार के अवर सचिव**

31

**श्री प्रकाश राम, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 26.12.2018 पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–40 का प्रश्नोत्तरः**

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत चन्दवा प्रखण्ड में कांती झरना, चूल्हा पानी, अमझरिया बंगला, नगर मंदिर, चन्दवा–टोरी–लोहरदगा रेलवे 27 नं० पुल में सालों भर हजारों लोग घुमने एवं पूजा–अर्चना करने आते है; | 1. | **अंशिक स्वीकारात्मक**<br>इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उपरोक्त क्षेत्रों को पर्यटन हब बनाकर विकसित करने से झारखण्ड प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में नया उपलब्धि प्राप्त होगा साथ ही इस क्षेत्र के समुचित विकास के साथ सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी; | 2. | **अंशिक अस्वीकारात्मक** |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संदर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 3. | वर्णित स्थल स्थानीय स्तर का पर्यटक स्थल है। इस प्रकार के स्थलों के विकास हेतु जिला स्तर पर अनुशंसा तथा विकास करने के लिए जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि भी सदस्य हैं। इस समिति के अनुशंसा के अनुसार उपायुक्त द्वारा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों का विकास कार्य कराया जाता है।<br>इस प्रकार के स्थानीय पर्यटक स्थलों के विकास हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति, लातेहार को को ₹1,00,00,000.00 देने हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–30, दिनांक–18.12.2018 द्वारा स्वीकृति दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/72/2018-1701 /राँची, दिनांक-24-12-2018/

**प्रतिलिपिः–** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3668/वि०स०, दिनांक–22/12/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel

32

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–22

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोमेंटम झारखण्ड आयोजित कर वृहत पैमाने पर औद्योगिक इकाईयों को आमंत्रित किया गया था। | स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य में ऐसे औद्योगिक इकाईयों द्वारा एक लाख करोड़ से अधिक की पूंजी निवेश के कारारों पर हस्ताक्षर किए गए है; | स्वीकारात्मक है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राँची जिला के लापुंग प्रखण्ड में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना नहीं की गई है; | स्वीकारात्मक।<br>लापुंग प्रखण्ड में उद्योग स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राँची जिला के लापुंग प्रखण्ड में उद्योग स्थापित कराकर क्षेत्र के लोगों को रोजी रोजगार का अवसर देने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यो? | वर्तमान में उद्योगों की स्थापना हेतु विभाग प्रयासरत है। यदि कोई उद्यमी उद्योग स्थापना हेतु उक्त क्षेत्र में इच्छुक होगें उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। |

**झारखण्ड सरकार**
**उद्योग विभाग**

ज्ञापांक–01/अल्पसूचित प्रश्न–10–06/2018 – 792 राँची, दिनांकः– 24/12/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–3634 दिनांक–20.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

(33)

**श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–34 का उत्तर सामग्रीः–**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां के राजनगर प्रखंड अन्तर्गत दिनांक–11.12.2018 दिन मंगलवार को लगभग 30–40 हाथियों के झूंड ने ग्राम पाटाकोचा, बुंड़ीसिरिंग, रावणकोचा, रोड़ाकोचा, चांडरी, रोड़ा तथा दुबराजपुर के किसानों के धान की फसल को नष्ट कर दिया तथा हाथियों के हमले से ग्रामीण दहशत में जी रहे है ; | सरायकेला–खसावां के राजनगर प्रखण्ड अन्तर्गत दिनांक–11.12.2018 को लगभग 30–40 हाथियों के झुण्ड ने ग्राम– पाटाकोचा, बुंड़ीसिरिंग, रावणकोचा, रोड़ाकोचा, चाडरी, रोड़ा तथा दुबराजपुर में हाथियों द्वारा किसानों के फसन नष्ट किये गये है। उक्त ग्रामों में वनकर्मियों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से मुआवजा से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त कर लिया गया है। प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र प्राप्त कर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 द्वारा निर्धारित दर पर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई का प्रावधान है। अतः प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित अंचलाधिकारी को भेजा गया है। |
| (2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा देते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त क्षेत्र में वॉच टावर स्थापित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ? | जंगली हाथियों द्वारा प्राकृतिक रूप से वन क्षेत्रों से बाहर विचरण किया जाता है। इस क्रम में हाथियों द्वारा किसानों की फसल भी नष्ट करने की घटनाएं होती है। हाथियों से हो रही क्षति को रोकने के लिए ग्रामीणों के बीच टॉर्च पटाखा/किरासन तेल आदि का वितरण किया जाता है। साथ ही हाथी–मानव द्वंद में क्षति को रोकने के लिए राज्य में 11 (ग्यारह) Quick Response Team (त्वरित कार्य दल) का गठन किया गया है जो प्रभावित स्थलों का दौरा कर आवश्यक कार्रवाई करते है। हाथियों को वनों में ही यथासंभव सीमित रखने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 4 अदद् जल संचयन संरचना निर्माण किया गया है।<br>राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के मार्ग निदेशन में किसी क्षेत्र में वॉच टावर का निर्माण का निर्णय स्थल विशेष की परिस्थिति, हाथियों के आवागमन के पथ, आदि की विवेचना के पश्चात् किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा इस वर्ष उक्त क्षेत्र मे वॉच टावर निर्माण प्रस्तावित नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–91/2018– 5138 व0प0, राँची, दिनांक– 25/12/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3671 दिनांक–22.12.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/12/18
(देव कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

VIDHAN SABHA-2018 V.K

34

श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछाजानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–39

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

| क0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला में बॉक्साईट पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि0 द्वारा वर्षों से प्रति वर्ष लाखों टन बॉक्साईट लातेहार जिला से रेलवे द्वारा ट्रांसपोर्टिंग कर रेणुकूट एल्युमिनियम प्लान्ट एवं अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है? | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग द्वारा हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि0 को लातेहार जिला में अल्युमिनियम कारखाना लगाने हेतु आदेश दिया गया है परन्तु कम्पनी द्वारा पानी की उपलब्धता नहीं बताते हुए लातेहार में फैक्टरी नहीं लगयी जा रही जबकि स्थानीय नदी में आवश्यकतानुसार पानी की मात्रा उपलब्ध है; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। इकाई के उपाध्यक्ष के अनुरोध पर विभागीय आदेश संख्या–1499, दिनांक–09.07.2008 के द्वारा सर्वश्री हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि0 द्वारा लातेहार जिला में इकाई स्थापना हेतु राज्य सरकार के साथ दिनांक–30.03.2005 को हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 का स्थापना स्थल लातेहार जिला से परिवर्तित कर राँची जिला अन्तर्गत सोनाहातु में किए जाने की स्वीकृति दी गयी है। |
| 4 | यदि उर्पुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि0 को लातेहार में अल्युमिनियम कारखाना लगाने का आदेश देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इकाई के द्वारा वर्त्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग में समर्पित नहीं किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर JIIP,2016 के अनुसार नियमानुकूल सहयोगात्मक त्वरित कार्रवाई की जाएगी। |

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/अल्पसूचित प्रश्न–10–08/2018 – 803 राँची, दिनांकः– 25/12/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–3667 दिनांक–22.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.12.18
सरकार के अवर सचिव

35

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16 का उत्तर सामग्रीः–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत प्रखंड उधवा स्थित विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्र वन प्रमण्डल, हजारीबाग के अधीन है ; | उधवा झील पक्षी आश्रयणी का प्रशासनिक नियंत्रण हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग के अधीन है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय में वन प्रमण्डल पदाधिकारी पदस्थापित है ; | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज का मुख्यालय साहेबगंज निर्धारित है। |
| (3) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज वन प्रमण्डल, हजारीबाग वन प्रमण्डल के अधीन स्थापित रहने के कारण वहाँ से विभाग की उचित मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है ; | अस्वीकारात्मक। |
| (4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित स्थल को वन प्रमण्डल, साहेबगंज के अधीन स्वतंत्र हस्तांतरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | प्रश्न उत्पन्न नही होता है। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–90 / 2018– 5136 व0प0, राँची, दिनांक– 25/12/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3636 दिनांक–20.12.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/12/18
(देव कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

VIDHAN SABHA-2018 V.K

(36)

**श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदन।**

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

| क्र | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की फोर्थ ग्रेड से डिप्टी कलेक्टर तक की नियुक्तियों में एस0टी0/एस0सी0/ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्तियों से वंचित रह रहे हैं; | अस्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि नियुक्ति संबंधी त्रुटियों के कारण राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में परेशानी हो रही है; | अस्वीकारात्मक। |
| 3 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य की नियुक्ति सम्बन्धि नीति में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों? | कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

**झारखण्ड सरकार,**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–33/2018 का0–9343/रांची, दिनांक 24.12.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–3556 वि0स0, दिनांक–19.12.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(27)

# झारखण्ड विधान–सभा प्रश्न

**श्री ताला मराण्डी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–41**

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्रीः–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के खनिज क्षेत्र के प्रभावितों के विकास हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत DMF का गठन किया गया है जिसके तहत Major and Minor Mines के पट्टेधारी से Royalty का 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि खर्च करना अनिवार्य है; | स्वीकारात्मक है। |
| 2. क्या यह बात यही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना के तहत साहेबगंज एवं गोड्डा जिला के लिए DMFT कोष में वित्तीय वर्ष 15–16, 16–17, 17–18 एवं 18–19 के लिए आवंटित राशि के खर्च में अनियमितितायें बरती गयी है; | झारखण्ड खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के अन्तर्गत ग्रामसभा के अनुशंसा के आलोक में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु जिला DMF प्रबंधिय समिति एवं न्यास परिषद् द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति/सहमति उपरांत किया जाता है। नियम में जिसके अंकेक्षण का भी प्रावधान है।<br>DMFT के गठन के उपरान्त साहेबगंज जिले मे वित्तीय वर्ष 2015–16 में शून्य, 2016–17 में 6.47 लाख, 2017–18 में 686.53 लाख एवं 2018–19 में माह नवंबर, 2018 तक 777.96 लाख रूपये की प्राप्ति हुई है। जिसके विरूद्ध कुल 05 योजनाओं अर्न्तगत 195.14 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है।<br>गोड्डा जिले मे वित्तीय वर्ष 2015–16 में 7739.99 लाख, 2016–17 में 8201.10 लाख, 2017–18 में 2934.56 लाख एवं 2018–19 में माह नवंबर, 2018 तक 2501.73 लाख रूपये की प्राप्ति हुई है। जिसके विरूद्ध कुल 06 योजनाओं अर्न्तगत 1840.04 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित विषय के आलोक में DMFT द्वारा की जा रही विकास कार्यों के कार्यान्वयन की जांचोपरान्त कार्रवाई करने तथा DMFT में पारदर्शिता लाये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | यथा कंडिका 1 एवं 2 |

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(अ0सू0)–33/2018 917 /राँची, दिनांक–25.12.18

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0–3669 दिनांक 22.12..2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.12.18
सरकार के संयुक्त सचिव।

38

**श्री राम कुमार पाहन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–28**

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

माननीय मंत्रीः–

| क0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1- | क्या यह बात सही है, कि खिजरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित छोटे–छोटे क्रेशरों को 29.06.2015 से अबतक लगभग 90 क्रशरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं परिचालन सहमति तथा खनिज विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया है; | अस्वीकारात्मक। |
| 2- | क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में स्थपित छोटे–छोटे क्रेशरों के बंद होने से क्षेत्र के लोगों को क्रेशर से निर्मित वस्तुएँ महंगी मिल रही है एवं क्रेशर मालिक बेरोजगार हो गए तथा क्रेशरों में कार्य कर रहे मजदूरों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है; | अस्वीकारात्मक।<br>रॉची जिला के खिजरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 38 स्टोन क्रशर खनन कार्यरत है। |
| 3- | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार उक्त वधिान सभा क्षेत्र में स्थापित क्रेशरों को स्थापित करने की नियमों को सरलीकरण करते हुए जॉच कर अविलंब चलाने की अनुमति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? | यथा उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 |

**झारखण्ड सरकार**
**खान एवं भूतत्व विभाग**

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–31/18 918 /एम0, राँची, दिनांक– 25.12.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3665 दिनांक 22.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.12.18
सरकार के संयुक्त सचिव

(40)

प्रो॰ जय प्रकाश वर्मा, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/ अधिवेशन में दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ॰सू॰ 08 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1.) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में मो॰ जुनैद अंसारी राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, गिरिडीह पद पर 10 वर्षों से कार्यरत है? | स्वीकारात्मक। |
| (2.) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से ज्यादा समय तक कार्य करना नियम संगत नहीं है? | कार्यापालिका नियमावली में यह अकिंत है कि पदस्थापन की अवधि साधारणतः तीन वर्षो की होगी। इसका यह तात्पर्य नही है कि किसी पद पर कोई पदाधिकारी तीन वर्षो से अधिक अवधि तक पदस्थापित नही रह सकता है। |
| (3.) क्या यह बात सही है कि एक स्थान पर लम्बे समय तक एक पदाधिकारी राजनीतिक व कूटनीतिक गतिविधियों में लिप्त होकर सरकारी कार्यों को बाधा पहुँचाते है? | श्री जुनैद अंसारी द्वारा राजनैतिक एवं कूटनीतिक गतिविधियों में लिप्त होकर सरकारी कार्यो में बाधा पहुचाने से संबंधित कोई प्रतिवेदन विभाग में प्राप्त नहीं है। उपायुक्त गिरिडीह से इनके कार्यकलाप के संबंध में प्रतिवेदन की मागँ की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। |
| (4.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे राजनीतिक व कूटनीतिक गतिविधियों में लिप्त पदाधिकारियों का स्थानान्तरण समय–समय पर करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | आगामी स्थापना समिति की बैठक में इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा। |

***झारखण्ड सरकार***
***योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)***

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–27/2018----121---------- राँची/दिनांक: 25/12/18

**प्रतिलिपि** : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप सं॰ 3555/वि०स०, दिनांक 19.12.2018 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.12.18

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

(41)

4834
24-12-2018

**श्री [illegible]न्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 में उच्च विद्यालय की स्थापना अनुमति/मान्यता (प्रस्वीकृति) हेतु निर्धारित शर्तों के आधार पर मदरसों को स्थापना अनुमति/मान्यता (प्रस्वीकृति) दी जाती है ; | अस्वीकारात्मक।<br>मदरसों के लिए संकल्प संख्या–1090 दिनांक–29.11.1980 में निहित प्रस्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किया जाता है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि नियमावली के तहत् विद्यालय के नाम कम से कम 02 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में 50 डी० निबंधित भूमि/30 वर्षो का निबंधित लीज होना अनिवार्य है, जो मदरसों पर भी लागू होता है ; | अस्वीकारात्मक।<br>तहतानियाँ मदरसा के लिए 2 कट्ठा, वास्तानियाँ मदरसा के लिए 5 कट्ठा एवं फोकानिया तथा मौलवी स्तर के मदरसों के लिए 20 कट्ठा न्यूनतम भूमि मदरसा के नाम निबंधित होनी चाहिए। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्य अंतर्गत संचालित मदरसों को स्थापना अनुमति, सिर्फ मदरसा संचालित है या नहीं उसी आधार पर स्थापना अनुमति/मान्यता प्रदान की जाती है, जबकि अन्य विद्यालय की स्थापना अनुमति में भूमि की प्रकृति (CNT/SPT) को आधार बनाकर स्थापना अनुमति/मान्यता (प्रस्वीकृति) दी जाती है; | वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–3241 दिनांक–19.12.2013 के आलोक में झारखंड राज्यान्तर्गत अवस्थित निबंधित मदरसों को प्रस्वीकृति प्रदान करने हेतु संकल्प संख्या–1090 दिनांक–29.11.1980 द्वारा भूमि संबंधी मानक को मदरसा शिक्षा के हित में शिथिल किया गया है। निर्गत संकल्प का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–<br>"अतः राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा हित में संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 की कंडिका–2 की उप कंडिका–"क" में भूमि संबंधी निर्धारित शर्त के नीचे नोट के रूप में निम्नवत् प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है :–<br>"नोट : संथालपरगना प्रमण्डल, जहाँ पर संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट प्रभावी है, वहां पर अविभाजित बिहार राज्य के समय से संचालित एवं निबंधित मदरसों के संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा दिये गये इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित मदरसा जिस भूमि पर संचालित है, वह भूमि मदरसे के स्वामित्व में है तथा मदरसे के ही उपयोग में है एवं संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, के आधार पर मदरसों को मान्यता देने की कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि संबंधित मदरसा संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करती है।" प्रमाण पत्र निम्न प्रपत्र में ही दिया जायेगा :–<br>"यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... मदरसा की भूमि संस्था के स्वामित्व एवं उपयोग में है। भूमि अहस्तांतरणीय (non transferable) प्रकृति के होने के कारण भूमि का निबंधन वैधानिक रूप से नहीं किया जा सकता है।<br>यह प्रमाण पत्र स्थल जाँच एवं अभिलेखीय जाँच के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।<br>अंचल अधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| | | साथ ही सरकारी भूमि पर स्थापित मदरसा की प्रस्वीकृति नहीं दी जायेगी।"<br>विभागीय अधिसूचना संख्या–1902 दिनांक–11.07.2008 द्वारा प्रख्यापित झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृत (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के अनुसार विद्यालय के नाम से भूमि निबंधित या 30 वर्षो के निबंधित लीज पर होनी चाहिए। राज्य सरकार के परिपत्रों का अनुपालन किया जा रहा है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति के संबंध में भूमि संबंधी पात्रता पर नियमावली में मदरसा के तरह नियम को सरलीकृत करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? | वर्तमान में सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति के संबंध में भूमि संबंधी पात्रता (अनुमान्यता) पर नियमावली में संशोधन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। |

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–103/2018 4834 राँची, दिनांक 24-12-2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

(43)

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सा०–भटमुरना (माधाडीह) थाना–कतरास अंतर्गत विगत 28.11.2011 को झा०मु०मो० नेता अक्षयलाल चौहान, पिता–बंधु प्रसाद चौहान की हत्या तीन अज्ञात मोटरसाईकिल सवार शुटरों द्वारा गोली मारकर कर दिया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त हत्या कांड के बाद कतरास थाना कांड सं०–268/11 भा०द०वि०–302, 120 (बी०)/34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि स्व० चौहान के हत्यारे आज तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है तथा पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में असफल है ; | इस काण्ड के अप्राथमिकी अभियुक्त रोहित यादव पे०–स्व० विश्वनाथ यादव सा०–तेतुलीया न्यू कॉलोनी, थाना–सोनारडीह ओ०पी०, जिला–धनबाद के द्वारा पुरानी दुश्मनी के कारण शुटरों के द्वारा गोली मरवाकर हत्या करा दिया गया। अप्राथमिकी अभियुक्त रोहित यादव को इस कांड में रिमाण्ड (गिरफ्तार) कर आरोप पत्र सं०–248/12, दिनांक–31.08.2012 को समर्पित किया जा चुका है। अनुसंधान पूर्ण है। |
| 4 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अक्षयलाल चौहान के हत्यारों को पकड़ने वो हत्या की गुत्थी सुलझाने हेतु उक्त कांड की सी०बी०आई० जांच कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपरोक्त बिन्दु में स्थिति स्पष्ट की गयी है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–911/2018–7240/ राँची, दिनांक– 25/12/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3561, दिनांक–19.12.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18
सरकार के अपर सचिव।